Received on 19/01/2021

राजस्थान सरकार

कार्यालयः प्रधानाचार्य श्री गोकुल वर्मा राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, भरतपुर

क्रमाकः जीपीबी / छात्र शाखा / 2019–20 / दिनांकः–

आवश्यक सूचना

महाविद्यालय में अध्ययनरत तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों की शैक्षणिक गतिविधियों दिनॉक 18.01.2021 से प्रारम्भ किये जाने हेतु राजस्थान सरकार गृह (ग्रुप–9) विभाग द्वारा जारी आदेश दिनॉक 06.01.2021 एवं शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग कमॉक पं. 3 (7) / शिक्षा–4 / 2014 पार्ट दिनॉक 07.01.2021 एवं तकनीकी शिक्षा विभाग पत्र कमॉक 12(3) त.शि. / 2006–I दिनॉक 08.01.2021 की अनुपालना करने हेतु विद्यार्थी महाविद्यालय में उपस्थित होने से पूर्व अपने माता–पिता की लिखित सहमति लेते हुए उक्त सहमति को संबंधित विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत कर कोविड–19 की निम्नलिखित दिशा–निर्देशों की पालना करते हुए अध्ययन करेगें।

1– सभी विद्यार्थी मुख्य द्वार पर सामाजिक दूरी का ध्यान रखेगें। एवं महाविद्यालय में विद्यार्थी / अभिभावकों / कर्मचारी अनावश्यक रूप से एकत्रित नही होगें।
2– विद्यार्थियों को अध्ययन अवधि के दौरान महाविद्यालय में एवं सार्वजनिक परिवहन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। नो मास्क नो एण्ट्री की पालना किया जाना आवश्यक है।
3– विद्यार्थियों को सेनेटाईजेशन एवं तापमान की जॉच करने के पश्चात ही प्रवेश दिया जाएगा।
4– विद्यार्थी प्रतिदिन काम में आने वाली स्टेशनरी एवं अन्य उपकरणों कों सेनेटाईजन करेगें।
5– प्रमुख द्वार पर किसी भी अनजान व्यक्ति से कोई भी वस्तु बिना वेरीफीकेशन के प्राप्त नही जावै।
6– महाविद्यालय में आने वाले सामान को विद्यार्थी बिना सेनेटाजेशन के नही हुयेगे।
7– विद्यार्थियो को सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर प्रतिवंध है एवं उल्लधन किये जाने पर नियमानुसार आर्थिक दंड कारित किया जावेगा।
8– विद्यार्थियो द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि विद्यार्थी ऐसी किसी सतह जो सार्वजनिक सम्पर्क में है को छूने के उपरान्त साबुन व पानी से हाथ धोये एवं सेनेटाईजर को उपयोग करे।
9– विद्यार्थी सार्वजनिक एवं स्वयं की सुरक्षा के लिए अपने मोवाईल पर आरोग्य सेतु ऐंप स्टॉल करेगे।
10– विद्यार्थी एन्ट्री व एक्जिट के दौरान सामाजिक दूरी का ध्यान रखेगे।
11– विद्यार्थियो को कक्षा कक्ष में प्रवेश करते समय एवं बहार जाने के समय सेनेटाईजर / साबुन / पानी से हाथ धोने होगे।
12– विद्यार्थियो को चेहरो पर मास्क लगाना **(NO MASK NO ENTRY)** व स्वयं पानी की बोतल लाना अनिवार्य होगा।
13– विद्यार्थियो को अपने कक्ष के अतिरिक्त एवं अन्य विद्यार्थियों के कक्ष में प्रवेश की अनुमति नही दी जावेगी।
14– राजस्थान के बहार आने वाले विद्यार्थी को राजस्थान आने से 24 धन्टे पूर्व आर.टी.पी.सी.आर. टेस्ट की जांच कराना अनिवार्य होगा उक्त जॉच के नेगेटिव आने के उपरान्त ही महाविद्यालय में प्रवेश की अनुमति होगी ।
15– विद्यार्थी केवल माता पिता की लिखित सहमति के आधार पर ही महाविद्यालय अटेन्ड कर सकेगे।
16– विद्यार्थी अपने कक्षा टाईम टेविल हेतु संबंधित विभागाध्यक्ष से सम्पर्क करेगे।

प्रधानाचार्य
श्री गो० वर्मा राजकीय पॉलि० महाविद्यालय
भरतपुर

क्रमांक : जीपीबी / छात्र शाखा / 2020–21 / 5254 दिनॉकः– 15/1/21

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ व पालनार्थ प्रेषित है :–

1– श्रीमान निदेशक महोदय, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय राजस्थान जोधपुर।
2– श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, भरतपुर ।
3– श्रीमान मुख्य चिकित्साधिकरी, भरतपुर।
4– श्री देवेश मिश्रा, प्रवक्ता कम्प्यूटर को भेजकर लेख है कि उक्त सूचना को वेबसाईट पर अपलोड करावे।

प्रधानाचार्य
श्री गो० वर्मा राजकीय पॉलि० महाविद्यालय
भरतपुर